



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102024-258188
CG-DL-E-23102024-258188

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 859]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 23, 2024/कार्तिक 1, 1946

No. 859]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 23, 2024/KARTIKA 1, 1946

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2024

फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई.—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 43 की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एतद् द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 6 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का. आ. सं. 3648(अ) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्: -

तालिका में,-

1. पूर्वी क्षेत्र से सम्बंधित 'घ' में,

(1) पश्चिम बंगाल के नीचे,

(क) कॉलम (1) में, क्रम संख्या 3 और कॉलम (2) और (3) में उससे संबंधित प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ;

(ख) कॉलम (1) में, क्रम संख्या 12 और कॉलम (2) और (3) में उससे संबंधित प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ।

जी. कमलावर्धन राव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./629/2024-25]

टिप्पणः मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्या 3648 (अ), दिनांक 6 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित हुई थी और अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई, दिनांक 4 सितम्बर, 2024 के माध्यम से की गई थी।

**FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st October, 2024

F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendment in the notification number S.O. number 3648 (E) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th December, 2016, namely: -

In the table,

1. In 'D' related to EASTERN REGION,

(1) under *West Bengal*,

(a) at serial number 3, in column (1) and respective entries in column (2) & (3) of the row shall be deleted;

(b) at serial number 12, in column (1) and respective entries in column (2) & (3) of the row shall be deleted.

G. KAMALA VARDHANA RAO, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./629/2024-25]

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O. number 3648 (E), dated the 6th December, 2016 and last amended vide notification number F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI dated 4th September, 2024 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4.